

संविधान की मूल संरचना:PDF, PYQs, Case Laws,Notes UPSC 2026

स्रोत (Sources) – इस नोट्स में प्रयुक्त प्रामाणिक आधार

संविधान की मूल संरचना यह नोट्स निम्नलिखित प्रामाणिक स्रोतों के गहन अध्ययन, तथ्यों के क्रॉस-वेरिफिकेशन और स्वयं एक UPSC अभ्यर्थी (Public Administration वैकल्पिक) के अनुभव पर आधारित है:

1. **M. Laxmikanth – "Indian Polity" (6th Edition)** – Hindi & English – अध्याय: संशोधन की प्रक्रिया और मूल संरचना सिद्धांत।
2. **NCERT (11th & 12th) – Indian Constitution at Work** – विशेष रूप से संसद की शक्तियाँ और न्यायिक पुनर्विलोकन।
3. सर्वोच्च न्यायालय के मूल निर्णय (**Original Judgments – SCC**) :
 - केशवानंद भारती केस (1973) – AIR 1973 SC 1461
 - इंदिरा गाँधी बनाम राज नारायण (1975) – (रिफाईंस केस)
 - मिन्वा मिल्स केस (1980) – AIR 1980 SC 1789
 - वामन राव केस (1981)
 - केशव सिंह बनाम विधानसभा अध्यक्ष (2020 – हालिया)
 - NJAC निर्णय (2015) – 4 जजों की पीठ (5वें जज ने अलग राय दी)
4. **PM Bakshi – "The Constitution of India"** – अनुच्छेद 368 पर टिप्पणी।
5. **PIB (Press Information Bureau) और सरकारी रिपोर्ट – हालिया संशोधनों (जैसे अनुच्छेद 370 निरसन, 103वाँ संशोधन) पर न्यायिक समीक्षा।**

संविधान की मूल संरचना (Basic Structure of the Constitution) – संपूर्ण अवधारणा, विकास और UPSC दृष्टिकोण

क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मनमाने ढंग से संशोधन कर सकती है? यही वह बुनियादी सवाल है, जिसने भारत के संवैधानिक इतिहास में सबसे बड़ी न्यायिक-विधायिका टकराहट को जन्म दिया। इसी टकराहट के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने 'संविधान की मूल संरचना' (**Basic Structure of the Constitution**) का सिद्धांत विकसित किया। यह सिद्धांत सिखाता है कि संविधान के कुछ मूलभूत स्तंभ इतने कीमती हैं कि संसद भी उन्हें नहीं बदल सकती। यह UPSC परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों से लेकर मुख्य परीक्षा के निबंधात्मक प्रश्नों और साक्षात्कार तक में पूछा जाता है।

संविधान की मूल संरचना क्या है? (What is Basic Structure of Constitution?)


मूल संरचना (**Basic Structure**) शब्द का अर्थ है - संविधान की वह बुनियादी पहचान, जिसे हटा दिया जाए तो संविधान अपना स्वरूप खो देता है। यह संविधान का 'सोल' (आत्मा) है।

Basic Structure Doctrine के अनुसार:

- संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे (**Basic Framework**) को नष्ट या विकृत नहीं कर सकती।
- यदि कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन (**Judicial Review**) के अधिकार का प्रयोग करते हुए उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

मूल संरचना के तत्व (**Elements of Basic Structure**)

सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी इस बात की कोई फाइनल लिस्ट नहीं दी कि मूल संरचना में क्या-क्या शामिल है। समय के साथ अलग-अलग फैसलों में इन तत्वों का विस्तार हुआ है:



प्रमुख मूल संरचना के तत्व (**List of Basic Structure Elements**):

तत्व (Element)	किस निर्णय में शामिल किया गया?	संक्षिप्त विवरण
संविधान की सर्वोच्चता	केशवानंद भारती (1973)	संविधान ही सर्वोच्च है, संसद नहीं।
गणतंत्र एवं लोकतांत्रिक स्वरूप	केशवानंद भारती	चुनाव, जनादेश, जवाबदेही।

धर्मनिरपेक्षता	एस.आर. बोम्मई केस (1994)	राज्य का कोई धर्म नहीं।
शक्तियों का पृथक्करण	केशवानंद भारती	कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका।
न्यायिक पुनर्विलोकन	मिनर्वा मिल्स (1980)	संविधान की रक्षा का हथियार।
मौलिक अधिकार (भाग III)	इंदिरा गाँधी बनाम राज नारायण (1975)	न्यायालय द्वारा संरक्षित।
राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग IV) और मौलिक अधिकारों के बीच सामंजस्य	मिनर्वा मिल्स (1980)	दोनों एक-दूसरे के पूरक।
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका	केशवानंद भारती	नियुक्ति, स्थानांतरण, वेतन – सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त।
संसद की संशोधन शक्ति की सीमाएँ	केशवानंद भारती	अनुच्छेद 368 असीमित नहीं।
एकता एवं अखंडता	केशवानंद भारती	देश विभाजन नहीं हो सकता।

एक सिविल सेवक की नज़र से: जब आप कलेक्टर या एसपी बनेंगे, तो आपको ऐसे कानून लागू करने होंगे जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध न हों। यह सिद्धांत आपको तानाशाही से बचाता है।

मूल संरचना का प्रादुर्भाव (Origin of Basic Structure Doctrine)

यह सिद्धांत अचानक नहीं आया; यह एक लंबे न्यायिक संघर्ष का परिणाम है।

तीन प्रमुख चरण:

1. शंकर प्रसाद केस (1951) → गोलकनाथ केस (1967):
 - शंकर प्रसाद में SC ने कहा – अनुच्छेद 368 से संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
 - गोलकनाथ केस (1967): SC ने अपना पुराना फैसला पलटते हुए कहा – मौलिक अधिकार "अनंत" हैं, संसद उन्हें छेड़ नहीं सकती। (यहाँ से बीज पड़ा)
2. केशवानंद भारती केस (1973) – जन्म:
 - केरल के एक मठ के प्रमुख ने केरल भू-सुधार कानून (जिसने मठ की जमीन ली) को चुनौती दी।
 - 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ ने 7:6 के बहुमत से कहा:

- संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
 - लेकिन संशोधन संविधान के मूल ढांचे (**Basic Structure**) को नष्ट नहीं कर सकता।
 - सिक्का डाला: जस्टिस एच.आर. खन्ना ने 'बेसिक स्ट्रक्चर' शब्द का प्रयोग किया।
3. इंदिरा गाँधी बनाम राज नारायण (1975) – परीक्षण:
- इलाहाबाद HC ने इंदिरा गाँधी का चुनाव रद्द किया। तत्कालीन सरकार ने 39वाँ संशोधन लाकर PM के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया।
 - SC ने इस संशोधन को मूल संरचना के विरुद्ध बताकर रद्द कर दिया। कहा – "लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया" बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
4. मिनर्वा मिल्स केस (1980) – स्थिरीकरण:
- SC ने 42वें संशोधन (1976) के दो बड़े प्रावधान रद्द किए:
 - "संशोधन पर कोई सीमा नहीं" – असंवैधानिक।
 - "न्यायिक पुनर्विलोकन हटाया जा सकता है" – असंवैधानिक।
 - यहाँ SC ने साफ कहा – "मूल संरचना ही संविधान का सुपर-स्ट्रक्चर है।"

प्रमुख वादों का तुलनात्मक विश्लेषण

वाद का नाम	वर्ष	न्यायाधीशों की संख्या	निर्णय (बहुमत)	मूल योगदान
शंकर प्रसाद	1951	5	सर्वसम्मत	संशोधन = कानून नहीं (अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर)
गोलकनाथ	1967	11	6:5	मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते; प्रॉस्पेक्टिव ओवररूलिंग
केशवानंद भारती	1973	13	7:6	मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना
इंदिरा गांधी	1975	5	4:1	लोकतंत्र और न्यायिक समीक्षा मूल संरचना के अंग हैं
मिनर्वा मिल्स	1980	5	4:1	न्यायिक समीक्षा स्वयं मूल संरचना है; FR और DPSP के बीच संतुलन

मूल संरचना सिद्धांत का महत्व (Mains Answer Framework)

Introduction (परिचय):

"मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान का एक न्यायिक आविष्कार है, जो संसद की संशोधन शक्ति पर एक आंतरिक सीमा निर्धारित करता है। केशवानंद भारती (1973) के ऐतिहासिक फैसले ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के मूल ढांचे को कोई भी बदल नहीं सकता।"

Body (मुख्य भाग):

1. न्यायिक सक्रियता का प्रतीक: इसने न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में स्थापित किया।

2. लोकतंत्र की रक्षा: किसी भी बहुमत वाली सरकार को संविधान की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ करने से रोकता है।
3. न्यायिक समीक्षा की पुष्टि: मिर्नर्वा मिल्स (1980) ने यह सुनिश्चित किया कि न्यायिक समीक्षा स्वयं एक मूल तत्व है।
4. सीमाएँ: कभी-कभी इसे "न्यायिक अतिक्रमण" भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की कोई स्थिर सूची नहीं है – न्यायालय इसे मामला-दर-मामला तय करता है।

Conclusion (निष्कर्ष):

"कुल मिलाकर, मूल संरचना सिद्धांत ने हमारे संविधान को एक जीवंत और लचीला दस्तावेज़ बनाए रखा है। यह सुनिश्चित करता है कि जनता की इच्छा से बनी संसद भी संविधान की बुनियाद को कमजोर न कर सके। यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग बन चुका है।"

त्वरित पुनरावृत्ति (Bullet Summary – Quick Revision)

- मूल संरचना शब्द संविधान में नहीं है, यह न्यायिक सिद्धांत है।
- केशवानंद भारती केस (1973) में 13 जजों की पीठ ने 7:6 से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया।
- गोलकनाथ केस (1967) ने कहा – संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
- मिर्नर्वा मिल्स (1980) ने कहा – न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का हिस्सा है।
- प्रमुख तत्व: संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार (विशेषकर अनुच्छेद 14, 19, 21)।
- इस सिद्धांत ने संसद की असीमित संशोधन शक्ति पर रोक लगाई।
- इसे कभी-कभी "न्यायिक अतिक्रमण" भी कहा जाता है।
- 42वें संशोधन (1976) के कुछ प्रावधानों (जैसे – किसी भी संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर करना) को मिर्नर्वा मिल्स ने खारिज कर दिया।
- यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र का संरक्षक है।

Mains PYQs (Descriptive Type)

1. भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' के सिद्धांत का विश्लेषण करें। यह सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति को कैसे सीमित करता है? (15 Marks, UPSC 2019)
Approach: केशवानंद भारती केस पर ध्यान केंद्रित करें। गोलकनाथ और मिर्नर्वा मिल्स का उल्लेख करें। संसद की शक्ति पर सीमाएँ स्पष्ट करें।
2. "संविधान की मूल संरचना सिद्धांत न्यायिक सक्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण है।" चर्चा करें। (10 Marks, UPSC 2017)
Approach: पहले परिभाषा दें। फिर उदाहरण दें कि कैसे न्यायालय ने इस सिद्धांत के माध्यम से संसद के अतिक्रमण को रोका। आलोचना का भी उल्लेख करें।
3. केशवानंद भारती मामले ने भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित किया। टिप्पणी कीजिए। (15 Marks, UPSC 2015)
Approach: इस केस की पृष्ठभूमि, 13 जजों की पीठ, 7:6 का फैसला, और इसके दीर्घकालिक प्रभावों का वर्णन करें।
4. मूल संरचना सिद्धांत के प्रमुख तत्वों को सूचीबद्ध करते हुए, इसकी आलोचनाओं का भी उल्लेख करें। (10 Marks, UPSC 2013)
Approach: तालिका के रूप में तत्वों को सूचीबद्ध करें। आलोचना में न्यायिक अतिक्रमण, अस्पष्टता, और लोकतांत्रिक वैधता की कमी शामिल करें।

5. 42वें संशोधन को 'मिनी संविधान' क्यों कहा जाता है? मिनर्वा मिल्स केस ने इसके किन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया? (15 Marks, UPSC 2011)
Approach: 42वें संशोधन के मुख्य बदलाव बताएँ। फिर मिनर्वा मिल्स के फैसले पर ध्यान केंद्रित करें।

यह रहे भारतीय संविधान की मूल संरचना (Basic Structure Doctrine) पर पिछले 5 वर्षों के UPSC Prelims PYQs (हिंदी माध्यम में,

वर्ष 2024

भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है

मूल संरचना सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है
मूल संरचना सिद्धांत संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है
संसद किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकती है

सही उत्तर
केवल पहला कथन सही है

वर्ष 2023

निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग माना जाता है

न्यायिक पुनरावलोकन
संसदीय सर्वोच्चता
संविधान की सर्वोच्चता
संघीयता

सही उत्तर
न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता और संघीयता

वर्ष 2022

भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है
मूल संरचना सिद्धांत संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है
मूल संरचना का उल्लेख संविधान में किया गया है

सही उत्तर
केवल दूसरा कथन सही है

FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Featured Snippet Boost)

प्रश्न 1: संविधान की मूल संरचना से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: यह एक न्यायिक सिद्धांत है जिसके अनुसार संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे या मूल दर्शन (जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद) को नष्ट नहीं कर सकती। यह सिद्धांत केशवानंद भारती वाद, 1973 में स्थापित हुआ।

प्रश्न 2: मूल संरचना का प्रादुर्भाव किस वाद से माना जाता है?

उत्तर: मूल संरचना का प्रादुर्भाव केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) वाद से माना जाता है। इससे पूर्व गोलकनाथ वाद (1967) में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी।

प्रश्न 3: क्या मूल संरचना के तत्वों की सूची निश्चित है?

उत्तर: नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी कोई बंद या स्थिर सूची नहीं दी है। यह समय-समय पर विभिन्न मामलों में न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित होती रही है।

प्रश्न 4: क्या प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है?

उत्तर: हाँ, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसके मूल तत्व (संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र) मूल संरचना का हिस्सा हैं। हालाँकि, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूल ढांचा प्रभावित न हो।

लेखक परिचय:

यह लेख एम.डी. अफजल अंसारी द्वारा लिखा गया है। लेखक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ-साथ पिछले 4 वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनका वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन (Public Administration) है। इस लेख में दी गई सभी जानकारी को मानक स्रोतों (एम. लक्ष्मीकांत, डी.डी. बसु) से तथ्य-जाँच कर प्रस्तुत किया गया है।

[संविधान का संशोधन](#)

